न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) टिब्बी, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 – 20/2020

अनवान

1. अल्पना पुत्री राजपाल पत्नी संदीप कुमार जाति कुम्हार निवासी छतरियांवाली तहसील सिरसा हाल वार्ड नं0 हनुमानगढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़ ।

प्रार्थीया

बनाम

1. राजपाल पुत्र अर्जनराम जाति कुम्हार निवासी कुलचन्द्र तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्रपाल वर्मा प्रार्थी
श्री सुभाष गर्ग अधिवक्ता अप्रार्थी

निर्णय दिनांक: 20/11/24

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया व प्रतिवादी सं0 2 ता 5 के पिता, अप्रार्थी राजपाल के नाम से चकनं0 10 सीडीआर ए के खाता सं0 134 / 127 के प0न0 214 / 254 मु0 52 किलानं0 13 / .253, 14/2/.214, 15/1/228, 15/2/025 है0 गै0मु0 खाला, 16/1/.025, 16/2/.203, 16/3/025 है0 गै0मु0 खाला, 17 / 2/240, 18/.253, 23/ 215, 24/2/.203, 25/1/190, 25/2/025 है0 गै0मु0 खाला, प0न0 214 / 255 मु0 61 किलानं0 16/2/.038 है0 कुल 2.164 है0 नहरी मय गै0मु0 आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उपरोक्त आराजी पूर्व में प्रार्थीया के दादा अर्जनराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। उक्त भूमि जद्दी जायदाद है जिसमे प्रार्थीया व प्रतिवादीगण सं0 2 ता 5 का जन्म से ही उतराधिकार अधिनियम के तहत हक व हिस्सा है जो पीढी दर पीढी प्रार्थीया के पूर्वजों के नाम चली आ रही है। पैतृक सम्पति क सबूत के लिए चकनं0 10 सीडीआर ए के जमाबन्दी संवत 2057 ता 60 खाता सं0 4/5 व संवत 2069 ता 72 खाता सं0 8 / 5 की फोटो कॉपी संलग्न है । प्रार्थना पत्र की दफा 2 मे दर्ज आराजी पैतृक सम्पति है जिसमें प्रार्थीया का जन्म से हक व हिस्सा बनता है। प्रार्थीया का अप्रार्थी के नाम से दर्ज आराजी में 1/6 हिस्सा का हक व हिस्सा बनता है। प्रार्थीया के 1/6 हिस्सा की आराजी प्रार्थीया के नाम दर्ज नही होने से प्रार्थीया के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है व प्रार्थीया अपनी आराजी पर बैंक से ऋण लेने, पानी की बारी अपने नाम करवाने तथा अन्य वितीय संस्थाओं से मिलने वाली सुविधाओ से वंचित रहती है। इसलिए [illegible] की प्राप्त करने की अधिकारी है कि प्रार्थीया, अप्रार्थी राजपाल के नाम से दर्ज चक [illegible] 10 [illegible]डीआर ए के खाता सं0 134/127 अंकित कुल 2.164 है0 में से 1 /[illegible] व इसी अनुसार रिकार्ड अंकन करवाकर चक 10 सीडीआर ए के खाता सं0 134/127 में से राजप[illegible] हिस्सा कम करवाने की अधिकारी व दावेदार है । अप्रार्थी, प्र[illegible]दीया सं0 2 व 3 के [illegible] है व जैसा प्रतिवादी सं0 2 व 3 चाहते हैं वैसा ही अप्रार्थी करता है। अब अप्रार्थी व प्रतिवादीगण सं0 2 ता 3 ने ऐलानियां तौर पर धमकी दी है कि वे जल्दी ही उक्त आराजी को बैय कर देगे व बैय की बात भी गाँव के एक व्यक्ति से कर ली है। अगर अप्रार्थी अपने गैर कानूनी व विधिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.12.19 13:19:38 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

विरूद्ध गलत कार्य में कामयाब होता है तो प्रार्थीया को अपरिमेय क्षति होगी जिसकी भरपाई रुपयों मे नही हो सकेगी व प्रार्थीया अपने कानूनी व विधिक अधिकारों से वंचित रह जावेगी व नाहक ही मुकदमें बाजी में फंसना होगा । अतः प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपरिमेय क्षति, तीनों बिन्दू प्रार्थीया के पक्ष में है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थीया खिलाफ अप्रार्थी राजपाल इस आशय की जारी की जावे कि अप्रार्थी राजपाल अपने नाम से दर्ज वाकें चकनं0 10 सीडीआर ए के खाता सं0 134 / 127 के प0नं0 214 / 254 मु0 52 किलानं0 13 / 253, 14/2/ .214, 15/1/ .228, 15/2/025 है0 गै०मु० खाला, 16/1/025, 16/2/203, 16/3/025 है0 गै०मु० खाला, 17 / 2/.240, 18/.253, 23/.215, 24/2/203, 25/1/.190, 25/2/025 है0 गै०मु० खाला, प0नं0 214 / 255 मु0 61 किलानं0 16/2/038 है0 कुल 2.164 है0 नहरी मय गै०मु० समस्त आराजी को रहन, बैय तथा अन्य किसी तरीके से मुन्तकिल करने से ताफैसला दावा ममनू व बाज रहे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। वादभूमि चक 10 सीडीआर ए के खाता स0 134/127 में कुल 2.164 है0 में प्रार्थीया के 1/6 हिस्से की हद तक अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थी इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थीगण उक्त वाद भूमि को रहन बैय व अन्य तरीके से अन्तरित न करें। अप्रार्थी की और से अधिवक्ता श्री सुभाष गर्ग ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया कि प्रार्थना पत्र की चरण सं0 1 न्यायालय में वाद पेश होना स्वीकार है लेकिन प्रार्थीया को प्रस्तुत वाद पत्र में कोई कामयाबी की आशा नही है क्योकि प्रार्थीया ने गलत तथ्यों के साथ वाद पेश किया है जो प्रथम दृष्टया काबिल खारीजी के है । प्रार्थना पत्र की चरण सं0 2 राजस्व रिकार्ड से सम्बन्धित है। प्रार्थना पत्र की चरण सं0 3 कतई गलत अंकित की है, स्वीकार नही । प्रार्थना पत्र की चरण सं0 2 में वर्णित आराजी पैतृक सम्पति नही है । मुझ अप्रार्थी को विरास्त से सम्पति प्राप्त नही हुई है। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत खाता सं0 8 /5 में कोई विरास्तन आराजी प्राप्त नही हुई है व खाता सं0 4/5 में भी कोई विरास्तन आराजी मुझ अप्रार्थी को प्राप्त नही हुई । प्रार्थीया द्वारा जो जमाबन्दी संवत 57 ता 60 पेश की है उस खाता में से प्रार्थना पत्र की चरण सं0 2 में वर्णित आराजी हरीराम व बलराम को प्राप्त हुई है। प्रार्थीया का उक्त आराजी में कोई हक व हिस्सा नही बनता । प्रार्थना पत्र की चरण सं0 4 के तथ्य कतई गलत अंकित किये है। प्रार्थीया का दफा 2 में वर्णित आराजी में किसी भी प्रकार से 1/6 हिस्सा नही बनता है न ही कोई हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारीणी है । दफा 2 में वर्णित आराजी मुझ अप्रार्थी की निजी सम्पति है जो मुझ अप्रार्थी की भूमि खरीद की हुई है। प्रार्थना पत्र की चरण सं0 5 कतई गलत अंकित की है, स्वीकार नही । प्राथया द्वारा कतई गलत तथ्यों के साथ प्रार्थना पत्र पेश किया है, प्रार्थना पत्र की चरण सं0 2 में वर्णित आराजी का अप्रार्थी एकल स्वामी है । मुझ अप्रार्थी के खिलाफ प्रार्थीया किसी भी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारीणी नही है प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति, तीनों बिन्दू प्रार्थीया के पक्ष में न होकर मुझ अप्रार्थी के पक्ष में है । ताईद में हल्फनामा प्रस्तुत है । अतः जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि पूर्व में जारी अप्रार्थी के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा को खारीज कर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र सव्यय खारीज फरमाया जावे । प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति, तीनो बिन्दू प्रार्थीया के पक्ष मे न होकर हम अप्रार्थीगण के पक्ष में है । लिहाजा जबाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0ए0 मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र सव्यय खारीज फरमाया जावे।

बहस उभयपक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सुनी गई। हमने प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहूंचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत घोषणा साक्ष्य सबूतो के आधार पर मूल दावे के निर्णय में तय होना है। इस प्रकम पर मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी करना उचित नही है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.12.19 13:19:38 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष में है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है। प्रथम दृष्टयता सलंग्न राजस्व रिकोर्ड जमाबंदी के अवलोकन से जाहिर होता है कि वादभूमि में प्रार्थीया के पिता राजपाल व राजपाल के पिता अर्जुन राम का नाम राजस्व रिकोर्ड में है। पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकोर्ड के अनुसार 10 सीडीआर ए के खाता स0 134/127 में कुल 2.164 है0 भूमि में अप्रार्थी अपने हक हिस्से की मांग कर रही है जो की वाद में साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होगा की प्रार्थी वाद भूमि में किसी प्रकार का हक हिस्सा पाने की अधिकारी है या नही। उपरोक्त विवेचनस्वरूप प्रार्थी केवल अपने हिस्से तक की भूमि की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने की अधिकारी है। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन व प्राकृतिक न्याय का सिद्धान्त आंशिक रूप से प्रार्थीया के पक्ष में बन रहा है। जब तक प्रार्थीया के हक हिस्सो का निर्धारण नही हो जाता तब तक अप्रार्थी स0 1 को उक्त वाद भूमि में प्रार्थीया के हिस्सा तक की हद तक पाबन्द किया जाना न्यायोचित है ताकि मुकदमेबाजी ना बढ़े। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 07.07.2020 को चक 10 सीडीआर ए के खाता स0 134/127 में कुल 2.164 है0 भूमि में अप्रार्थी अपने हक हिस्से भूमि की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी, जिसमें प्रार्थीया का प्रथम दृष्टया मामला बनता है अतः उक्त वाद भूमि में से प्रार्थीया के हक व हिस्से तक की भूमि को अप्रार्थी ताफैसला दावा रहन, बैय व हस्तांतरित ना करे।

यह निर्णय आज दिनांक 20/11/24 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण, R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
टिब्बी

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.12.19 13:19:38 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner